विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम गुरूवार के लिये निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर

2(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के पत्र सं0-393/71-2-20-पी-8/2016 दिनांक 20/02/2022 के द्वारा निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ से संस्थान के टेक्नीशियन संवर्ग को अन्य टेक्नीशियन संवर्ग की भांति दिनांक 17/07/2015 से पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने पर आने वाले व्यय भार आदि के संबंध में सूचना मांगी गयी थी ?	जी हाँ।
(ख) क्या प्रशासनिक विभाग की पत्रावली के पेज सं0-62 से 71 पर उल्लिखित प्रस्ताव पर संस्थान के टेक्नीशियन संवर्ग को अन्य टेक्नीशियन संवर्ग की भांति पुनरीक्षित वेतनमानदिनांक 17/07/2015 से दिये जाने के संबंध में वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 09/11/2017 को संस्तुति प्रदान कर दी गई थीं ?	जी हाँ।
(ग) यदि हाँ, तो क्या एस0जी0पी0जी0आई0 प्रथम विनियमावली-2011 के नियम-74 में दी गई व्यवस्था के अनुसार संस्थान के टेक्नीशियन संवर्ग को अन्य टेक्नीशियन संवर्ग की भांति पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 17/07/2015 से दिये जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है ?	जी नहीं। वित्त विभाग द्वारा दिनांक 09.11.2017 को दी गयी सहमति के क्रम में शासनादेश संख्या-132/2018/2745/71-2-18-पी-08/22, दिनांक 17.10.2018 द्वारा तत्काल प्रभाव से टेक्नीशियन संवर्ग को अन्य टेक्नीशियन संवर्ग की भांति पुनरीक्षित वेतन संरचना एवं वेतनमान प्रदान कर दिया गया है।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्तानुसार।

ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री